न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 173/2017 **दायरा दिनांक : 11.10.2017**

उनवान

सुरेन्द्र उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी मूण्डला, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामबिलास पुत्र श्री सूरजमल, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— रोशन पुत्री श्री सूरजमल, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— कान्ति पुत्री श्री सूरजमल, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— सोसर पत्नी स्वर्गीय श्री सूरजमल, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— छगनलाल पुत्र श्री प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— शान्ति पुत्री श्री प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— मूर्ति पुत्री श्री प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

8— केला पत्नी स्वर्गीय श्री प्रहलाद, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

9— पाली पुत्री श्री तेज्या, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

10— आनन्दी पुत्री श्री तेज्या, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

11— सीताराम पुत्र श्री राधाकिशन, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

12— रामकन्या पुत्री श्री राधाकिशन, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

13— सुमित्रा पुत्री श्री राधाकिशन, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

14— जगन्नाथ पुत्र श्री गोरधन, जाति मीणा, निवासी मूण्डला (सरकन्या), तहसील मांगरोल, जिला बारां

15— जितेन्द्र गेलड पुत्र श्री रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी मूण्डला हाल निवासी तोरण, तहसील दीगोद, जिला कोटा

16— निर्मला बाई नामा पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी मूण्डला हाल निवासी तोरण, तहसील दीगोद, जिला कोटा

17— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 34/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में वादी की पैतृक व पुश्तैनी आराजी खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 58 रकबा 0.46 हेक्टर, खसरा नम्बर 354 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 4 किता की 0.61 हेक्टर आराजी शामलाती खाते में दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम मूण्डला, तहसील मांगरोल में वादी की पैतृक व पुश्तैनी आराजी खाता संख्या 40 खसरा नम्बर 453 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 500 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 522/616 रकबा 1.01 हेक्टर कुल 4 किता की 1.53 हेक्टर आराजी शामलाती खाते में दर्ज है । ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में वादी की पैतृक व पुश्तैनी आराजी खाता संख्या 129 खसरा नम्बर 185 रकबा 1.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.79 हेक्टर कुल 3 किता की 2.65 हेक्टर आराजी स्थित है । वादी रामेश्वर का सुलभी पुत्र है । वादी का भाई नरेन्द्र अविवाहित फोत हो चुका है इस प्रकार वादी ही एक मात्र रामेश्वर का वारिस है । प्रतिवादी क्रम 16 का नाता विवाह वादी के पिता से हुआ था और नाता विवाह के समय प्रतिवादी नम्बर 15 गेलड आया था । उस समय प्रतिवादी क्रम 15 की उम्र 1 वर्ष थी । वादी के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नम्बर 16 वादी का परित्याग करके चली गयी और दूसरा नाता विवाह ग्राम

तोरण, तहसील दीगोद में कर लिया है । राजस्व कर्मचारियों से प्रतिवादी नम्बर 16 ने मिली भगत करके विरासत में अपना और प्रतिवादी नम्बर 15 का नाम दर्ज करा लिया है जो अवैध है । उनका कब्जा वादग्रस्त आराजी पर नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में विलोपित किया जाये और उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.06.2017 को दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि लोक अदालत में बिना किसी राजीनामे के तथा सी पी सी की पालना किये बिना दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.07.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत हक घोषणा का दावा अपीलांट ने पेश किया था जो कि जवाबदावे में लम्बित था और इसका लोक अदालत में बिना किसी राजीनामे के निर्णय किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 16.07.2017 के अनुसार जवाब प्रतिवादी में पत्रावली लम्बित थी और इसमें 05.06.2017 की तारीख नियत की गई थी । दिनांक 05.06.2017 की कोई आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और दिनांक 05.06.2017 में यह आदेश टंकित कर सलंग्न करवाया गया है । आदेश में दावे को प्रार्थना पत्र अंकित किया गया है जबकि यह दावा है प्रार्थना पत्र नहीं है और दावे में बिना जवाबदावा लिये तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर दावे को खारिज किया जाना अंकित किया है । न तो पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा हुआ है और न ही दिनांक 05.06.2017 को पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज की गई है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा